B.A Part 2

Paper III

भारत में सहकारी कृषि की प्रगति:-
(Progress of Co-operative farming in India.)

भारत में सहकारी कृषि-व्यवस्था को अपनाने के लिए सरकार द्वारा पूरा-पूरा प्रयोग किया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधार का अन्तिम उद्देश्य सहकारी ग्राम-व्यवस्था की स्थापना माना गया है। इस उद्देश्य से योजनाकाल में विशेष रूप से प्रयास भी किया गया। देश के विभिन्न राज्यों में सहकारी कृषि-व्यवस्था की स्थापना का प्रयास भी किया गया जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश तथा पंजाब में अधिक सहकारी फार्म स्थापित किए गए हैं। बिहार में भी सहकारी गन्ना-समितियाँ कई वर्षों से कार्य कर रही हैं। जून, 1979 ई० के अन्त तक देश में कुल ~~+8~~ 8919 सहकारी कृषि समितियाँ थीं जिनकी सदस्य संख्या 241 लाख थी तथा जिनके द्वारा कुल 4.7 लाख हेक्टर भूमि में खेती की जाती थी।

प्रथम अखिल भारतीय सहकारी काँग्रेस ने फरवरी, 1952 में यह प्रस्ताव स्वीकार किया था कि राज्य एवं सहकारिता आंदोलन द्वारा सहकारी कृषि के संगठन का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। योजना आयोग भी सहकारी कृषि को यथासंभव विकसित करने के पक्ष में था। इन उद्देश्यों से योजना आयोग द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में निम्नलिखित सुझाव दिये गए थे -

1. प्रत्येक सहकारी कृषि-फर्म के लिए परिस्थितियों के अनुसार न्यूनतम भूमि की मात्रा निर्धारित की जाय।
2. सरकार द्वारा वित्त एवं तकनीकी सहायता देने में सहकारी कृषि-समितियों को प्राथमिकता दी जाय।

6.8.20

Scanned by CamScanner

3. नयी भूमि पर कृषि - व्यवस्था करते समय सहकारी कृषि - समितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही, बंजर भूमि को कृषि - योग्य बनाने के लिए भी उचित सहायता देनी चाहिए।

4. यदि गाँव के अधिकांश किसान जिनके पास कुल कृषि - योग्य भूमि का कम - से - कम आधा भाग हो, सहकारी कृषि - फार्म स्थापित करना चाहें तो उन्हें ऐसी कानूनी सुविधा दी जानी चाहिए जिनसे कि सम्पूर्ण गाँव के लिए सहकारी कृषि की व्यवस्था की जा सके।

जुलाई, 1965 ई० में भारत सरकारी कृषि - व्यवस्था के अध्ययन के लिए श्री एस० के० पाटिल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा था। मंडल के सुझाव देश में सहकारी कृषि - व्यवस्था के निर्माण के लिए निश्चय ही अति महत्त्वपूर्ण थे। चीन में आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करने में सामान्यतः रूस का ही अनुकरण किया गया था, किंतु कृषि के क्षेत्र में रूस की तरह सामूहिक कृषि को नहीं था, क्योंकि अन्ततः सहकारी कृषि - समितियों को थीं। चीन में सहकारी कृषि की स्थापना में वहाँ की कम्यूनिष्ट पार्टी का महत्त्वपूर्ण सहयोग था। प्रारंभ में चीन में केवल 19 उत्पादक सहकारी समितियाँ संगठित की जा चुकी थीं जिनके सदस्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रायः 91 प्रतिशत परिवार थे। हमारे देश में राजनीतिक दल इस आंदोलन की प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। चीन की ही तरह हमारे देश में भी सहकारी कृषि - व्यवस्था से कृषि की उपज में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

नागपुर प्रस्ताव एवं भूमि-सुधार की रूप-रेखा — जनवरी, 1959 ई० में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल ने संयुक्त सहकारी-कृषि (Joint Co-operative Farming) को भूमि सुधार के अन्तिम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था। भारतीय संसद ने भी मार्च, 1959 में एक प्रस्ताव द्वारा नागपुर के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी। संसद में इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार किया गया की आगामी तीन वर्षों में संयुक्त सहकारी कृषि के प्रथम चरण के रूप में सेवा सहकारिता (Service co-operatives) की स्थापना पर और दिया जाए। किन्तु, सेवा सहकारिता से हमारा तात्पर्य क्या है? सेवा सहकारिता किसानों के उस संगठन को कहते हैं, जो किसानों के लिए उत्तम बीज, अच्छी खाद तथा कृषि-संबंधी औजारों की व्यवस्था करेगी। किंतु, इस प्रकार की समितियों की स्थापना में निसंदेह कठिनाई होगी। सहकारिता के संगठन के लिए पर्याप्त मात्रा में सुयोग्य व्यक्तियों को प्राप्त करने में भी कठिनाई होगी। इसमें संदेह नहीं कि इन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है किंतु इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। साथ ही, इसमें समय भी बहुत अधिक लगेगा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (Third Five Year Plan) में देश के 318 जिलों में से प्रत्येक जिले के एक-एक सामुदायिक विकास प्रखंड में सहकारी कृषि का एक प्रयोग केन्द्र (Pilot Project) स्थापित करने का आयोजना था। प्रत्येक केन्द्र में 10 सहकारी कृषि-समितियाँ होंगी। इस प्रकार तृतीय योजनाकाल में कुल 3180 सहकार समितियों की स्थापना की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त देश के अन्य भागों में और 4 हजार सहकारी कृषि-समितियों की स्थापना की व्यवस्था थी। इन समितियों की स्थापना में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करने पर और दिया गया था। इन समितियों को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए एक National Cooperative

Scanned by CamScanner

Family Advisory Board की स्थापना की गयी। जनवरी, 1968 में इस परिषद् ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि - (क) हरेक समिति को पुनर्वास कार्यक्रम पर ही जोर देना चाहिए। (ख) प्रत्येक समिति में भूमि प्राप्त करने का एक निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए। (ग) उन्हीं समितियों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए जो सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुसरण कर सकें। राज्य सरकारों द्वारा भी राज्य स्तर पर इस प्रकार की संस्थाएँ स्थापित किये गयीं। इस प्रकार तृतीय योजना में सहकारी कृषि को लोकप्रिय बनाने के विभिन्न प्रयास किये गये।

जून, 1969 तक देश में 9691 सहकारी कृषि समितियाँ थीं जिनके अन्तर्गत 415 लाख हेक्टर भूमि थी। इससे स्पष्ट है कि देश में कुल कृषि की जानेवाली भूमि के केवल 4 प्रतिशत भाग में ही तबतक सहकारी कृषि समितियों का निर्माण हो सका था। चतुर्थ तथा आनेवाली पँचवर्षीय योजनाओं में भी सहकारी कृषि पर पर्याप्त जोर दिया गया था। किन्तु, इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई। अतएव कहा जाता है कि सैंतालिस ~~से अधिक~~ अधिक वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बावजूद कृषि के क्षेत्र में सहकारीकरण की स्थिति ज्यों की त्यों है।

Scanned by CamScanner